

## आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

क्र.सं.	कार्यन्वयनकर्ता	श्रेणी	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता	स्लॉट	अधिकतम अवधि	वित्तीय सहायता	संलग्नक संख्या
1	उच्चतर शिक्षा विभाग	छात्रवृत्ति	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भेधावी छात्रों को उच्चतर अध्ययन के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना।	1) XII कक्षा में किसी विशेष बोर्ड से संबंधित स्ट्रीम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र 2) प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय 3) नियमित पाठ्यक्रम 4) किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना लाभ नहीं ले रहे छात्रगण	प्रतिवर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां	5 वर्ष	स्नातक पाठ्यक्रमों के पहले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष रु. 10,000/- की छात्रवृत्ति और 4 और 5वें वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20,000/- रु. की छात्रवृत्ति	2
2	उच्चतर शिक्षा विभाग	छात्रवृत्ति	जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना	जम्मू और कश्मीर के युवाओं राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें देश के बाकी हिस्सों के साथ अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनमें अलगाव की भावना को समाप्त किया जा सके और वे मुख्य धारा में शामिल	1) जेएंडके का नागरिक, 2) जम्मू-कश्मीर राज्य से XII कक्षा या पॉलिटेक्निक / डिप्लोमा उत्तीर्ण 3) प्रतिवर्ष 8 लाख की सीमा तक वार्षिक आय	प्रतिवर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां	5 वर्ष	i) टयुशन फीस के लिए छात्रवृत्ति (सामान्य डिग्री रु. 30,000 प्रतिवर्ष., व्यतवसायिक और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम:- रु.1.25 लाख प्रतिवर्ष., मेडिकल पाठ्यक्रम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष) ii) प्रति वर्ष 1 लाख रु. का निर्धारित रख रखाव भत्ता	3

3	उच्चतर शिक्षा विभाग	छात्रवृत्ति	केन्द्रीय सेक्टर की ब्याज सब्सिडी योजना	यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का कोई भी छात्र गरीब होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से	एनएएसी प्रत्यायित संस्थानों या एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों अथवा एनबीए मान्यता प्राप्त संस्थानों से / व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक 4.5 लाख प्रति वर्ष तक है।	सभी पात्र अभ्यर्थी	पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष	शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	4
4	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा VIII में पढ़ाई बीच में छोड़ने पर नियंत्रण करने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करे हेतु	1) सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रु. 1,50,000 से अधिक न हो 2) कक्षा VII परीक्षा में कम से कम 55 % अंक अथवा समकक्ष 3) छात्र को एक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में नियमित छात्र होना चाहिए। एनवीएस, केवीएस और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।	एक लाख नई छात्रवृत्तियां	4 वर्ष	रु. 12000/- प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति राशि	5

5	एआईसीटीई	छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों/कॉलेजों में एम.ई./एम.टेक/एम.आर्क और एम.फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले पूर्णकालिक गेट/जीपीएटी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	जीएटीई/जीपीएटी अर्हताप्राप्त छात्र	एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/विभागों में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश	2 वर्ष	पीजी छात्रवृत्ति की दर प्रति वर्ष 12,400/- रु. है।	6
6	एआईसीटीई	छात्रवृत्ति	प्रगति छात्रवृत्ति योजना	एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान में डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाली मेधावी बालिकाओं को छात्रवृत्ति/आकस्मिकता प्रदान करना।	1) प्रति परिवार दो बालिका वाले परिवार पात्र 2) पारिवारिक आय 8 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3) एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्र : डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या पार्श्व प्रवेश के माध्यम से डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम का 2 वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (डिप्लोमा के लिए 5000 और डिग्री के लिए 5000) से प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियां • बाकी शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ( पूर्वोत्तर राज्यस और जेएंडके इत्यादि सहित) की सभी पात्र बालिका छात्र	3 वर्ष	50,000/- रु. तक की छात्रवृत्ति	7

7	एआईसीटीई	छात्रवृत्ति	सक्षम छात्रवृत्ति योजना	डिग्री/डिप्लोमा में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति/आकस्मिकता प्रदान की जाती है।	1) दिव्यांग छात्र, जिनकी दिव्यांगता 40% से कम नहीं है 2) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पारिवारिक आय प्रति वर्ष 8 लाख से अधिक नहीं है 3) एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र: डिग्री / डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के पहले वर्ष या लेटरल एंट्री के माध्यम से डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम	सभी पात्र दिव्यांग छात्र।	3 वर्ष	50,000/- रुपये तक की छात्रवृत्ति	8
8	एआईसीटीई	छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय डॉक्टरेट फेलोशिप (एनडीएफ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना।</li> <li>तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभाओं का पोषण करना।</li> <li>स्टार्ट-अप के लिए अग्रणी संस्थान और उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना।</li> </ul>	<p>1) अभ्यर्थी को बीई/बी.टेक/बी.फार्म और एमई/एम.टेक/एम.फार्म दोनों में 10 या समकक्ष के पैमाने पर 7.5 का संचयी ग्रेड बिंदु औसत प्राप्त करना चाहिए। एससी/एसटी/पीएच अभ्यर्थियों के लिए सीजीपीए की आवश्यकता 10 के पैमाने पर 7.0 होगी।</p> <p>2) अभ्यर्थी के पास पिछले 5 वर्षों के दौरान गेट/जीपीएटी उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>3) आवेदन के वर्ष के 31 अगस्त को अभ्यर्थियों की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट लागू है।</p>	प्रति वर्ष 150 छात्र	3 वर्ष (चल रहे शोध कार्य में विद्वान के प्रदर्शन के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय की सिफारिश पर एआईसीटीई द्वारा 1 वर्ष का विस्तार दिया जा	<ul style="list-style-type: none"> <li>31000/- (+) रुपये एच.आर.ए. प्रति माह फेलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार: 2 वर्ष के लिए।</li> <li>35000/- (+) रुपये एच.आर.ए. फेलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति माह : शेष वर्षों के लिए</li> <li>15,000/- रुपए प्रति वर्ष की आकस्मिक राशि।</li> </ul>	9

9	यूजीसी	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप	भारतीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों में विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान को बढ़ावा देना।	1) अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, अधिमानतः प्रकाशित शोध कार्य के साथ। 2) केवल पीएच.डी. सम्मानित बेरोजगार अभ्यर्थी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के पुरस्कार के लिए पात्र होंगे 3) पुरुष आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के मामले में 55 वर्ष है। 4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जिनके यूजी स्तर पर 50% अंक और पीजी स्तर पर 55% अंक हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।	100	5 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फेलोशिप: पहले वर्ष के लिए 47,000/- रुपये प्रतिमाह दूसरे वर्ष के लिए 49,000/- रुपये तृतीय वर्ष के लिए 54,000/- रुपये</li> <li>• आकस्मिकता: 50,000/- रुपये प्रति वर्ष</li> </ul>
10	यूजीसी	छात्रवृत्ति	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप	एम. फिल के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए नेट/जेआरएफ-योग्य अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। / भाषा और विज्ञान सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में	1) अभ्यर्थी जो नेट-जेआरएफ या यूजीसी-सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2) एम.फिल/पीएचडी के लिए पंजीकरण विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों द्वारा परिणाम की घोषणा की तारीख या प्रदान पत्र जारी करने की तारीख/ फेलोशिप में शामिल होने की तारीख से दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है।	9400	5 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अध्येतावृत्ति: जेआरएफ @ 31000/- रु प्रति माह 2 वर्ष के लिए एसआरएफ @ रु 35000/- शेष अवधि के लिए प्रति माह</li> <li>• आकस्मिकता क (मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए) जेआरएफ के लिए रु. 10,000/- प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए रु 20500/- प्रति वर्ष</li> <li>• आकस्मिकता ख (विज्ञान के छात्रों के लिए) जेआरएफ के लिए रु. 12,000/- प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए रु. 25,000/- प्रति वर्ष</li> </ul>

11	यूजीसी	छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति	भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं	1000	2 वर्ष	छात्रवृत्ति: एमई/एम टेक के लिए 78000/- प्रति वर्ष अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 45,000/- रुपए प्रति वर्ष
12	यूजीसी	छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पीएचडी करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	1) अभ्यर्थियों को ओबीसी से संबंधित होना चाहिए और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और लाभार्थी / माता-पिता या लाभार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2) अभ्यर्थी जो पहले से ही एम.फिल./पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। उद्धृत योजना के तहत फेलोशिप के पुरस्कार के लिए विचार के लिए पात्र होंगे। 3) चयन वर्ष 2019-20 से चयन के लिए	1000	5 वर्ष	• फेलोशिप: जेआरएफ @ रु 31,000/- 2 साल के लिए एसआरएफ @ रु 35,000/- प्रति माह शेष अवधि के लिए • आकस्मिकता क (मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए) 10,000/- रुपए प्रति वर्ष जेआरएफआर के लिए 20,500/- प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए • आकस्मिकता ख (विज्ञान के छात्र के लिए) जेआरएफ के लिए 12,000/- रुपए प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए 25,000/- रुपये प्रति वर्ष

10 -13  
(वर्षवार  
सूचना)

13	यूजीसी	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	भारत में विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पीएचडी करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान	1) अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2) फेलोशिप के लिए आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी को एम.फिल./पीएचडी के लिए पंजीकृत होना चाहिए। 3) चयन वर्ष 2018-19 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए-यूजीसी-नेट/सीएसआईआर-नेट परीक्षा की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।	2000	5 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फेलोशिप: जेआरएफ @ ₹ 31,000/- 2 साल के लिए एसआरएफ @ ₹ 35,000/- प्रति माह शेष अवधि के लिए</li> <li>• आकस्मिकता क (मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए) 10,000/- रुपए प्रति वर्ष जेआरएफआर के लिए 20,500/- प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए</li> <li>• आकस्मिकता ख (विज्ञान के छात्र के लिए) जेआरएफ के लिए 12,000/- रुपए प्रति वर्ष एसआरएफ के लिए 25,000/- रुपये प्रति वर्ष</li> </ul>	
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	छात्रवृत्ति	प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवाचार (इंस्पायर)	मेधावी छात्रों को आकर्षक छात्रवृत्ति और परामर्श के अवसरों के माध्यम से बीएससी और एमएससी में बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना	कक्षा XII बोर्ड (राज्य या केंद्रीय) परीक्षाओं और/या चयनित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी-जेईई, आदि में शीर्ष 1% कट-ऑफ अंक के भीतर और स्नातक / एकीकृत एमएससी या एमएस कार्यक्रम में विज्ञान पाठ्यक्रम करने वाले छात्र इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं।	12000	5 वर्ष	80,000 रुपये प्रति माह	14
15	जनजातीय कार्य मंत्रालय	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)	कक्षा IX और X में पढ़ रहे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करना ताकि ड्रॉप-आउट की घटनाएँ कम हो सकें।	(i) छात्र को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए (ii) उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) उसे कोई अन्य केंद्र-वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा हो। (iv) उसे सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या एक केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पढ़ने वाला एक	सभी पात्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	2 वर्ष	10 महीने के लिए स्कॉलरशिप : डे स्कॉलर्स के लिए 150 रुपये प्रति माह और हॉस्टलर्स के लिए 350 रुपये प्रति माह पुस्तकें और तदर्थ अनुदान (प्रति वर्ष) : 750 रुपये डे स्कॉलर्स के लिए और 1000 रुपये हॉस्टलर्स के लिए	15

16	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। (ग्यारहवीं कक्षा के बाद)	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके।	(i) मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट-माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त पोस्टमैट्रिक के अध्ययन हेतु भारत के नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध है।(ii) माता-पिता की आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम।	सभी योग्य अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार	पाठ्यक्रम अवधि	शुल्क- अनिवार्य रूप से देय शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति जो वापसी योग्य नहीं है रखरखाव भत्ता: चिकित्सा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, टेक, योजना, आर्क।, डिजाइन, फैशन टेक, कृषि, पशु चिकित्सा, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त, प्रबंधन और चिकित्सा / एम.फिल में कंप्यूटर विज्ञान / स्नातकोत्तर डिप्लोमा ,पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर / एलएलबी, एकीकृत एलएलबी, एलएलएम-रू. 1200 / - प्रति माह छात्रावास के लिए और फार्मैसी, नर्सिंग, अन्य पैरा-मेडिकल शाखाओं, जनसंचार, होटल प्रबंधन, यात्रा / पर्यटन, इंटीरियर डिजाइनिंग, पोषण, वित्तीय सेवाओं में डे स्कॉलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रु.550 / - प्रति माह, जहां हॉस्टलर के लिए न्यूनतम योग्यता XII- रु.820 / - प्रति माह और बीए, बीएससी, बी.कॉम, एमए, एमएससी, एम.कॉम, एम.एड जैसे डे स्कॉलर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए रु.530 / - प्रति माह - रु. 570/- प्रति माह छात्रावास के	16
17	जनजातीय मामलों के मंत्रालय	सुविधा	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	राज्य सरकारों को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के साथ शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ जैसे मौजूदा भवन बुनियादी ढांचे के अलावा, सह-शिक्षा आवासीय विद्यालयों के निर्माण, लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के निर्माण, आवासीय विद्यालय में आश्रम स्कूलों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण, आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं/उपकरण आदि के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।,					17
18	जनजातीय मामलों के मंत्रालय		एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	इसका उद्देश्य देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। एक ईएमआरएस में 480 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होती है। बजट घोषणा 2018-19के अनुसार50% या अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले और कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में 2022 तक एक ईएमआरएस और स्कूलों की कुल संख्या 740होना निर्धारित है। अब तक, 632 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पुरानी योजना के तहत 288 और नई योजना में 344 शामिल हैं। एकीकृत और नर्सिंग पाठ्यक्रमों का प्रारंभिक चरण शुरू करने का निर्णय					18 और 19
19	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	वित्तीय सहायता के माध्यम से, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अन्य वंचित श्रेणियों के बच्चों के माता-पिता का समर्थन करना है	कक्षा IX और X में नियमित रूप से पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र और जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख प्रति रुपये से अधिक नहीं है। वर्ष।	खुला क्षेत्र	पाठ्यक्रम अवधि	i) छात्रावासी- Rs. 6,250 प्रति वर्ष ii) डे स्कॉलर- Rs. 3,000 प्रति वर्ष	20



20	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	वित्तीय सहायता प्रदान करके सबसे गरीब परिवारों के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना	अनुसूचित जाति के छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	खुला क्षेत्र	पाठ्यक्रम अवधि	वार्षिक ( रुपये में) छात्रावासी डे स्कॉलर समूह-I 13500 7000 समूह -II 9500 6500 समूह -III 6000 3000 समूह -IV 4000 2500	21
----	-------------------------------------	-------------	---	--	--	--------------	----------------	--	----

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना\*

क्र. स.	राज्य/यूटी	2018-19			2019-20			2019-20			2021-22 ( अब तक)		
		एससी जारी राशि	एसटी जारी राशि	ओबीसी जारी राशि	एससी जारी राशि	एसटी जारी राशि	ओबीसी जारी राशि	एससी जारी राशि	एसटी जारी राशि	ओबीसी जारी राशि	एससी जारी राशि	एसटी जारी राशि	ओबीसी जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	15630000	5220000	23260000	21420000	4190000	45210000	10880000	2360000	25180000	70,000		570000
2	असम	850000	580000	660000	290000	220000	790000	70000	300000	640000			
3	बिहार	200000	20000	2220000	3840000	1030000	13820000	38600000	6080000	24500000	20,000		
4	सीबीएसई	7600000	2550000	1080000	6580000	1460000	1080000	6040000	1130000	34460000	90,000	10,000	640000
5	छत्तीसगढ़	2400000	950000	16340000	2700000	2140000	20220000	2180000	1670000	17470000	630000		1130000
6	सीआईएससीई	20000	10000	0	0	0	0	10000	160000	220000			
7	गोवा	10000	10000	120000	0	50000	190000	20000	0	110000		20,000	
8	गुजरात	3920000	680000	24870000	6290000	1220000	44650000	7360000	10000	40530000	980000	140000	4350000
9	हरियाणा	5830000	10000	11950000	12640000	0	22640000	14190000	1840000	13830000	100000		250000
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	230000	1560000	260000	450000	370000	0	1090000	880000		10,000
11	जम्मू और कश्मीर	350000	20000	330000	660000	60000	450000	390000	20000	140000			
12	झारखंड	0	0	340000	0	0	400000	0	0	130000		20,000	
13	कर्नाटक	20100000	8310000	38620000	27600000	8640000	71500000	18940000	6080000	56320000	1060000	220000	4460000
14	केरल	5540000	480000	20040000	5410000	340000	40170000	2560000	30000	32430000	1740000	180000	980000
15	मध्य प्रदेश	12000000	2240000	31730000	15320000	2410000	50150000	17970000	3070000	48700000	130000	20,000	1200000
16	महाराष्ट्र	7240000	2310000	26340000	11720000	3780000	41500000	13390000	3430000	50990000	220000	10,000	610000
17	मणिपुर	220000	460000	1090000	270000	1430000	1360000	360000	1110000	1000000			20,000
18	मेघालय	0	50000	0	0	1130000	0	0	660000	0		10,000	
19	मिजोरम	0	10000	0	0	30000	0	0	0	0			
20	नागालैंड	40000	940000	70000	0	130000	70000	0	730000	140000		10,000	
21	उड़ीसा	4520000	1020000	10650000	8800000	1140000	8010000	10670000	2010000	12800000	90,000	10,000	280000
22	पुडुचेरी	200000	0	1270000	70000	0	1460000	200000	0	1910000			30,000
23	पंजाब	4440000	10000	4770000	1160000	0	6890000	1130000	0	9300000	2250000		30,000
24	राजस्थान	2210000	1560000	10120000	5140000	2620000	25750000	5530000	2660000	25270000	170000	80,000	910000
25	तमिलनाडू	3740000	60000	50520000	6480000	110000	58480000	9090000	260000	70880000	90,000		950000
26	तेलंगाना	9400000	6650000	19740000	15300000	9750000	51000000	13170000	8910000	52120000	530000	610000	1240000
27	त्रिपुरा	1190000	170000	390000	1460000	220000	1170000	850000	200000	690000	60,000		40,000
28	उत्तर प्रदेश	5690000	190000	33710000	7290000	240000	44940000	12490000	310000	69350000	330000		1080000
29	उत्तराखंड	940000	220000	1620000	2440000	230000	2290000	1260000	220000	2870000	1210000		10,000
30	पश्चिम बंगाल	10490000	1050000	18470000	12350000	1110000	22150000	15560000	1350000	29230000	40,000		40,000
कुल		1247,70,000	357,80,000	35,05,50,000	1767,90,000	439,40,000	57,67,90,000	2032,80,000	446,00,000	6223,00,000	106,90,000	13,40,000	188,30,000

\* स्वीकृत की गई निधि संपूर्ण योजना के लिए है, न कि राज्यवार

क्र. सं.	आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक			
	जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना*			
	वर्ष	स्वीकृत निधि (करोड़ में)	एससी राशि (करोड़ रुपये में)	एसटी राशि (करोड़ रुपये में)
1	2018-19	एसएसएस फॉर जे एंड के एवं सीएसएसएस के लिए अलग से बजट आवंटन नहीं है	11.49	14.29
2	2019-20		22	17.19
3	2020-21	225	14.22	11.93
4	2021-22	225	अब तक धनराशि जारी नहीं की गई है	
* योजना विशेष रूप से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए है				

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

## केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना#

क्र.स.	राज्य का नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
		ओबीसी क्लेम राशि	एससी क्लेम राशि	एसटी क्लेम राशि	ओबीसी क्लेम राशि	एससी क्लेम राशि	एसटी क्लेम राशि	ओबीसी क्लेम राशि	एससी क्लेम राशि	एसटी क्लेम राशि
1	अंडमान एवं निकोबार	466521	132165	5183	478292	102951	0	425737	139729	0
2	आंध्र प्रदेश	111000000	18531413	2951438	96420665.15	13921737	1830080	104409172.8	13211004	1809282
3	अरुणाचल प्रदेश	269753	0	294732	166147	0	217879	101139	0	33682
4	असम	19376542	6999619	5866089	14715968	4202954	3992127	8387536	2757697	1782164
5	बिहार	281000000	23263460	2173927	222496788.7	20090185	2663303	165787185.5	16416279	2453334
6	चंडीगढ़	294983	92693	0	532013	130564	0	601965	112146	0
7	छत्तीसगढ़	48938380	13605661	8514345	35262817	10920535	7872152	20966582.1	5636429	4579516
8	दादरा और नगर हवेली	186934	48982	35382	6135	12763	26092	3349	0	16499
9	दमन और दीव	113107	102857	0	128634	36930	0	200806	44666	0
10	दिल्ली	10148183	3937327	528144	9567192	3680910	466261	10561352	4904733	441700
11	गोवा	1780754	247085	195472	2014668	206767	214695	1708941	259879	211435
12	गुजरात	46568729	9368170	3434036	29755028.74	5617459.95	1533212.41	24234046	4219733	1245830
13	हरियाणा	17736190	5757360	214508	14789808	4640227	124942	14214579	3840725	153358
14	हिमाचल प्रदेश	5686768	6746440	1375406	5722383	5572296	957029	4166561	4371036	748056
15	जम्मू और कश्मीर	1210304	758248	370003	1383552	818852	459644	1642636	898784	465829
16	झारखंड	59912506	7681457	10369841	56204442	7936341	8137475	39458083	6591806	4865197
17	कनौटक	589000000	71397747	24328417	571082312.9	66802734	22700555	501011332.9	57993835.93	19469387
18	केरल	1050000000	44045058	4305086	877572187.2	36811010.11	4505873.75	673770433.1	30822144.12	4086772.6
19	लक्षद्वीप	14061	0	123277	34016	1881	110461	37705	13053	87368
20	मध्य प्रदेश	169000000	41297180	14025910	121143503	27863698	9586337	104927896.9	24604150.5	7453589.95
21	महाराष्ट्र	248000000	31252265	6923569	177932213.7	22445466	4811996	177595957.6	22677670	4306476
22	मणिपुर	645067	186291	1677169	453192	141153	900841	863912	154622	457640
23	मेघालय	372319	74244	5645278	336164	150207	9685233	227987	120455	7797139
24	मिजोरम	89757	25906	935048	2143560	178389	480767	2809627	340408	473139
25	नागालैंड	246024	38685	1374364	348514	28394	874066	483556	54157	401717
26	उड़ीसा	54226032	25206561	16901377	43189540	17579560.86	6858029	37078305	13525579.29	5381566
27	पुडुचेरी	54951119	5906367	181597.1	41538305	4480561	304192	26468401.8	2311136	173713
28	पंजाब	5164587	3205983	299493	4888655	2780723	273708	4180274	2177079	50335
29	राजस्थान	79195566	18242300	9968149	58382205	13514626	6127434	44896833	10060253	4065220
30	सिक्किम	458917	127499	181001	497172	113864	71557	380663	95810	283304
31	तमिलनाडू	2200000000	241000000	13012319	1503375079	146469185.3	9654981	831034987.7	81204232.93	5995660.73
32	तेलंगाना	27763841	5548347	3870273	23178412	3697929	3809265	22955170.12	3700946	3412000

33	त्रिपुरा	3246447	2694664	1750677	2345783	1821441	2047675	1399335	1379989	1591503
34	उत्तर प्रदेश	134000000	18703823	1355833	101093021.5	14972208	1132143	75805609.17	12776805	983680
35	उत्तरांचल	19603665	7200602	2108395	11955268	4943718	1071472	9426336.24	3930602	622074
36	पश्चिम बंगाल	17225917	13988649	1556862	16653894	10968711	1222776	13466477	10022223	1082277
<b>कुल</b>		<b>5257892973</b>	<b>627415108</b>	<b>146852600.1</b>	<b>4047787531</b>	<b>453656931.2</b>	<b>114724253.2</b>	<b>2925690470</b>	<b>341369796.8</b>	<b>86980443.28</b>
# योजना के लिए समय रूप से निधि स्वीकृत की गई है न कि राज्यवार/ क्लेम वर्षवार लाभार्थी डाटा दावा वर्ष 2019-20 तक के लिए दिया गया है										

अनुबंध-5

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) के दौरान राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/ यूटी का नाम	वित्त वर्ष 2018-19 (आरई- 362.98 करोड़ रुपये)	वित्त वर्ष 2019-20 (आरई- 335.20 करोड़ रुपये)	वित्त वर्ष 2020-21 (आरई- 350 करोड़ रुपये)
		स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)#		
1	अंडमान एवं निकोबार	23.64	25.44	15.48
2	आंध्र प्रदेश	1227.00	894.00	1087.56
3	तेलंगाना	1252.92	774.84	613.44
4	अरुणाचल प्रदेश	*	10.80	14.04
5	असम	59.64	162.18	273.48
6	बिहार	1564.08	1486.20	1862.76
7	चंडीगढ़	51.24	21.24	38.64
8	छत्तीसगढ़	77.04	74.64	110.28
9	दादरा और नगर हवेली	13.68	5.04	8.04
10	दमन और दीव	9.72	3.84	
11	दिल्ली	514.62	129.12	972.24
12	गोवा	35.64	34.68	10.80
13	गुजरात	1746.68	1159.92	1907.88
14	हरियाणा	438.00	995.28	1264.80
15	हिमाचल प्रदेश	505.26	364.68	402.72
16	जम्मू और कश्मीर	72.48	143.04	376.20
17	झारखंड	133.32	166.80	160.68
18	कर्नाटक	2599.56	2951.64	1595.76
19	केरल	1987.20	2832.96	1563.72
20	लक्षद्वीप	*	*	*
21	मध्य प्रदेश	1123.48	5116.99	1595.71

22	महाराष्ट्र	7574.81	3604.20	7090.20
23	मणिपुर	5.40	46.44	15.60
24	मेघालय	14.04	108.60	36.48
25	मिजोरम	46.44	78.36	33.24
26	नागालैंड	43.20	*	79.08
27	उड़ीसा	1144.80	1513.56	1677.36
28	पुडुचेरी	84.00	38.76	47.76
29	पंजाब	777.84	430.68	596.70
30	राजस्थान	1624.02	1057.98	1329.72
31	सिक्किम	8.16	27.48	11.76
32	तमिलनाडू	1807.56	5329.44	3231.84
33	त्रिपुरा	20.52	20.16	55.62
34	उत्तर प्रदेश	812.04	441.00	616.86
35	उत्तराखंड	402.54	133.02	436.44
36	पश्चिम बंगाल	3936.42	2830.92	2776.08
कुल		31736.99	33013.93	31908.97
*प्रस्ताव नहीं मिले				
नोट:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) अभी खुला नहीं है।				
# श्रेणीवार डाटा नहीं रखा जाता है				

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अताराकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

पिछले चार वर्षों (जून 2021 तक) के लिए पीजी छात्रवृत्ति योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लाभार्थियों को जारी छात्रवृत्ति राशि का राज्यवार विवरण (लाख रुपये में)

राज्य	2018-19 (बीई-342.93 करोड़ रुपये)			2019-20 (बीई- 305.03 करोड़ रुपये)			2020-21 (बीई- 276.02 करोड़ रुपये)			2021-22 [बीई रु. 323 करोड़ (जून 2021 तक)]		
	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
अण्डमान और निकोबार	1.59	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	1220.19	526.12	54.19	1122.09	432.17	58.59	839.03	313.27	41.48	533.12	189.21	62.35
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	44.89	1.49	0.99	24.32
असम	56.44	23.73	22.68	52.42	20.11	21.18	51.76	19.53	24.28	20.70	6.78	12.82
बिहार	499.99	78.11	6.57	578.91	90.75	8.15	593.94	84.62	7.51	19.66	9.43	0.00
चंडीगढ़	3.99	11.34	0.00	6.10	9.89	0.00	2.48	11.86	0.00	18.04	55.89	6.76
छत्तीसगढ़	316.59	79.12	15.62	270.22	80.49	16.63	205.84	70.93	14.82	69.03	21.55	3.72
दादरा और नगर हवेली	0.00	2.98	4.98	1.34	1.62	7.43	3.22	0.00	5.66	0.37	0.00	2.22
दमन और दीव	0.00	0.00	0.72	0.00	0.74	1.49	0.00	1.61	1.13	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	116.97	143.49	13.83	102.48	137.67	10.24	109.34	122.72	9.54	154.39	86.41	8.14
गोवा	14.88	1.49	13.31	13.39	2.18	14.57	16.72	2.36	19.97	8.48	0.99	7.44
गुजरात	345.86	142.92	70.61	333.90	118.23	64.21	313.56	115.74	79.99	113.90	43.09	32.47
हरियाणा	178.71	142.20	0.00	150.77	121.09	0.00	124.21	92.99	0.00	122.25	50.09	3.44
हिमाचल प्रदेश	13.39	46.26	9.36	22.94	49.13	10.07	15.92	47.93	9.71	0.96	2.84	0.99
जम्मू और कश्मीर	2.11	16.53	8.56	2.25	17.30	9.32	0.37	15.36	13.27	0.00	1.98	0.00
झारखंड	120.16	44.03	23.95	115.43	40.30	23.20	104.03	40.85	11.50	69.28	20.76	4.08
कर्नाटक	321.12	123.92	31.70	314.82	119.76	32.64	292.26	112.72	37.06	141.00	54.32	19.47
केरल	1259.38	163.57	3.22	1078.65	134.17	1.49	911.29	98.46	0.43	369.16	53.87	2.98
मध्य प्रदेश	1012.19	346.06	31.64	952.34	300.11	39.09	866.11	295.15	53.46	460.64	142.93	31.92
महाराष्ट्र	1426.55	1042.71	88.56	1537.60	784.93	87.07	1338.09	631.70	84.38	612.33	286.66	40.82
मणिपुर	2.32	1.52	0.91	2.78	3.84	2.25	5.33	3.07	2.88	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	18.19	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	26.48	1.98	0.50	14.85
नागालैंड	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	68.61	42.60	6.49	70.26	31.14	12.42	69.61	31.67	13.30	19.52	12.36	0.00
पुदुचेरी	7.73	0.57	0.00	12.83	2.48	0.00	20.96	4.27	0.00	5.33	0.99	0.00
पंजाब	29.80	103.32	0.00	32.07	79.42	0.00	32.17	62.96	0.00	42.96	35.68	4.46
राजस्थान	416.80	163.79	80.89	406.38	157.24	76.30	365.61	152.49	60.17	134.71	58.58	24.76
सिक्किम	0.86	0.00	0.00	1.49	0.81	1.56	0.63	1.98	4.45	0.50	0.50	1.49
तमिलनाडू	387.30	101.54	2.03	590.82	116.10	2.93	613.32	104.90	2.36	277.44	39.05	0.87
तेलंगाना	1162.87	446.45	209.76	1054.92	346.97	171.58	988.28	287.17	156.23	186.05	58.46	34.56
त्रिपुरा	0.00	6.08	2.77	0.74	1.92	5.21	1.61	0.48	4.30	0.50	0.00	1.96
उत्तर प्रदेश	624.74	308.37	1.74	627.42	242.86	2.13	665.61	242.30	2.64	104.99	31.88	0.99
उत्तराखंड	45.72	45.95	2.73	35.13	34.32	1.49	24.11	31.42	5.62	13.96	12.29	2.48
पश्चिम बंगाल	98.17	245.75	21.97	128.15	257.30	25.04	142.32	219.01	18.60	101.92	139.82	12.30
<b>कुल</b>	<b>9755.02</b>	<b>4400.49</b>	<b>755.10</b>	<b>9621.59</b>	<b>3735.06</b>	<b>780.10</b>	<b>8719.07</b>	<b>3219.52</b>	<b>787.03</b>	<b>3604.65</b>	<b>1417.87</b>	<b>362.67</b>

किसी विशेष योजना के लिए कोई अलग बीई आवंटित नहीं किया गया है। किसी विशेष योजना पर कुल व्यय को बीई के रूप में माना जाता है



आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारक्षित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

पिछले चार वर्षों

(जून 2021) के लिए प्रगति योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लाभार्थियों को जारी छात्रवृत्ति राशि का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2018-19 (बीई- 12.89 करोड़ रुपये)			2019-20 (बीई- 18.37 करोड़ रुपये)			2020-21 (बीई- 25.64 करोड़ रुपये)			2021-22 [बीई- रु। 119.49 करोड़ (अब तक)]		
		ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
1	आंध्र प्रदेश	21106328	5910472	550000	43181582	12200641	1150000	55882949	17432455	2617500	16950000	2950000	1950000
2	बिहार	2001350	610870	143180	1694180	621620	120000	1623360	780120	140000	6000000	550000	100000
3	चंडीगढ़ (यूटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	100000	30000	113000	0	40000	279500	135000	40000	295700	800000	300000	200000
5	दिल्ली (एनसीटी)	0	0	20000	0	0	20000	0	65000	0	450000	100000	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	400000	150000	100000
7	गुजरात	180550	20000	0	137200	20000	40000	0	50000	140000	2700000	200000	300000
8	हरियाणा	0	0	0	20000	20000	0	45330	120000	0	6250000	2200000	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	40000	0	0	20000	40000	0	20000	0	1450000	1300000	350000
10	झारखंड	341000	68700	259000	180000	0	203613	504800	20000	220000	1750000	150000	300000
11	कर्नाटक	11621955	1984160	1146870	15059560	2054005	546500	17992470	3377434	1438048	24100000	6350000	3050000
12	केरल	8370700	320000	0	10400261	631874	0	19489911	1354744	20000	9650000	2250000	250000
13	मध्य प्रदेश	512660	0	103500	220000	84800	42500	435000	310000	240000	6250000	1100000	650000
14	महाराष्ट्र	1984620	671409	274000	4775072	1690460	645860	6209715	2717570	838000	3550000	550000	100000
15	उड़ीसा	175000	106300	185800	132500	80000	0	112500	80000	100000	4950000	2000000	950000
16	पुडुचेरी (यूटी)	281750	0	0	132000	0	0	464000	200000	0	550000	0	0
17	पंजाब	20000	0	0	60000	0	0	137990	0	0	400000	50000	0
18	राजस्थान	118000	100000	44500	0	40000	20000	234000	180000	20000	7000000	1950000	700000
19	तमिलनाडू	17562215	2159600	20000	20699255	2979970	60000	11429520	1986933	190500	45300000	11000000	300000
20	तेलंगाना	7132648	1200000	620000	11540000	1600000	800000	19365739	3596487	1840000	17150000	4300000	1700000
21	उत्तर प्रदेश	1375880	328860	0	3383050	742720	0	8996662	4675017	166000	16320000	4750000	50000
22	उत्तराखंड	28000	56000	28000	0	0	0	0	48000	20000	1350000	450000	350000

23	पश्चिम बंगाल	226600	267800	41200	371200	235400	20600	1287925	1032382	20600	2400000	1850000	0
24	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	100000	200000
26	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	2200000	750000
27	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
28	अरुणाचल प्रदेश (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
29	असम (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	4250000	650000	1350000
30	मणिपुर (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	100000	50000
31	मेघालय (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000
32	मिजोरम (एनईआर)	0	0	80000	0	0	60000	0	0	320000	50000	0	900000
33	नागालैंड (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	286600	0	0	600000
34	सिक्किम (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	200000
35	त्रिपुरा (एनईआर)	123600	40000	0	80000	40000	0	0	40000	0	1900000	2000000	1100000
	<b>संपूर्ण</b>	<b>73262856</b>	<b>13914171</b>	<b>3629050</b>	<b>112065860</b>	<b>23101490</b>	<b>4048573</b>	<b>144346871</b>	<b>38126142</b>	<b>8986948</b>	<b>184870000</b>	<b>49550000</b>	<b>17750000</b>

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

पिछले चार वर्षों (जून 2021) के लिए सक्षम योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लाभार्थियों को जारी छात्रवृत्ति राशि का राज्यवार विवरण

राज्य	2018-19 (बोई- 12.89 करोड़ रुपये)			2019-20			2020-21			2021-22 (आज तक)		
	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
आंध्र प्रदेश	240000	40000	0	400100	0	0	60000	0	0	250000	300000	0
बिहार	277300	40060	0	330300	0	0	80000	50000	0	150000	50000	0
चंडीगढ़ (यूटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (एनसीटी)	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	50000	20000	0	20000	0	0	150000	0	0	100000	0	0
हरियाणा	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	200000	200000	0
हिमाचल प्रदेश	0	20000	0	0	0	0	0	0	40000	50000	150000	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
कर्नाटक	3774095	620000	240000	6544688	540000	180000	5131310	2043471	725270	5200000	1350000	300000
केरल	248225	0	0	380000	0	0	439150	180000	0	700000	300000	50000
मध्य प्रदेश	60000	0	0	90000	0	0	60000	0	0	50000	0	50000
महाराष्ट्र	180000	45000	30000	430050	0	0	134000	20000	0	100000	0	0
उड़ीसा	20000	0	0	22500	0	0	20000	0	0	450000	150000	0
पुडुचेरी (यूटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	50000	0
पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडू	454000	20000	0	462500	40000	0	374000	160000	0	1550000	450000	0
तेलंगाना	60000	0	0	60000	0	0	40000	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	136000	151430	0	962860	0	0	834270	238490	0	600000	100000	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	50000	0
पश्चिम बंगाल	112400	81200	0	192000	0	0	286470	20000	0	100000	100000	0

अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर (यूटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम (एनईआर)	127500	0	0	240000	0	0	52000	0	0	50000	0	0
मणिपुर (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
मिजोरम (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा (एनईआर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>संपूर्ण</b>	<b>5759520</b>	<b>1037690</b>	<b>270000</b>	<b>10404998</b>	<b>580000</b>	<b>180000</b>	<b>7661200</b>	<b>2731961</b>	<b>765270</b>	<b>9950000</b>	<b>3250000</b>	<b>500000</b>

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक													
पिछले तीन 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (जून 2021 तक) के लिए एआईसीटीई डॉक्टरेट फेलोशिप (एडीएफ) योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी के लाभार्थी को जारी फेलोशिप राशि (रुपये में) का राज्यवार विवरण राशि रुपये में													
क्र. सं.	राज्य	2018-19 (बीई-3.37 करोड़)			2019-20 (बीई- 11.19 करोड़ रुपये)			2020-21 (बीई- 15.58 करोड़ रुपये)			2021-22 [बीई- रु। 31 करोड़ (जून 2021 तक)]		
		ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी
1	असम	0	0	0	12000	7839	7839	1956920	1227840	0	674560	662367	248000
2	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215760	0	0
3	दिल्ली	366361	438800	0	20428	42160	42160	2435800	996960	465000	721680	491040	115320
4	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215760	0
5	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293880	100440	0
6	झारखंड	0	0	0	3480	0	0	469960	0	0	107880	124000	124000
7	कर्नाटक	1155128	996320	479843	62621	32520	32520	5428720	4347440	2396920	1355760	1065720	582120
8	केरल	3151243	242360	0	163960	41920	41920	14198640	1681221	0	3723240	545880	146408
9	मध्य प्रदेश	484720	242360	0	20880	13920	13920	2517240	2161280	0	818960	589280	
10	महाराष्ट्र	2597408	2123124	0	78457	79680	79680	8534565	9674797	1451160	3218594	2896800	331080
11	उड़ीसा	0	0	0	30240	0	0	0	0	0	450360	0	0
12	ओडिशा	682966	455311	0	12960	19200	19200	1936880	2868360	0	440640	507720	0
13	पुदुचेरी	874969	444906	0	13920	13440	13440	2003840	1934400	0	621760	464000	0
14	पंजाब	178484	178484	0	37000	12000	12000	1413600	1599600	0	291000	584880	0
15	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	तमिलनाडू	2375187	896101	226644	68638	29849	29849	9878654	4348760	1077920	3418255	1490077	277296
17	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335934	
18	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	पश्चिम बंगाल	774120	774120	0	71920	22320	22320	4071400	2221880	934960	1528920	928760	230640
	<b>कुल राशि</b>	<b>12640586</b>	<b>6791886</b>	<b>706487</b>	<b>596504</b>	<b>314848</b>	<b>314848</b>	<b>54846219</b>	<b>33062538</b>	<b>6325960</b>	<b>17881249</b>	<b>11002658</b>	<b>2054864</b>

किसी विशेष योजना के लिए कोई अलग बीई आवंटित नहीं किया गया है। किसी विशेष योजना पर कुल व्यय को बीई के रूप में माना जाता है

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को जारी राशि दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में)

राज्यों	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति*		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
	ओबीसी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	3.24	16.35	0.38	14.73	5.57	0.00	0.00	0.00	331.48
आंध्र प्रदेश	1044.88	408.21	146.08	414.43	133.02	19.88	6.68	73.74	2288.19
अरुणाचल प्रदेश	48.19	8.08	7.79	0.00	0.00	0.83	10.75	0.00	0.00
असम	488.20	195.41	83.61	0.00	24.57	15.22	37.63	161.83	259.46
बिहार	771.24	311.57	117.36	17.41	0.00	2.09	0.00	54.58	684.28
चंडीगढ़	246.62	78.70	42.60	5.49	0.00	0.42	0.78	4.77	45.70
छत्तीसगढ़	106.27	53.96	12.66	0.00	0.00	0.00	0.34	29.07	190.56
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	2752.48	1224.36	408.31	30.38	23.35	6.18	1.11	197.41	358.14
गोवा	8.66	9.09	2.00	0.00	0.00	0.65	0.00	25.62	8.02
गुजरात	145.03	56.92	18.32	19.64	0.00	2.06	0.00	73.51	337.85
हरियाणा	1338.61	570.88	226.60	41.96	3.07	4.37	0.00	48.50	585.18
हिमाचल प्रदेश	268.40	122.78	31.16	19.66	4.54	2.27	1.75	2.90	224.79
जम्मू और कश्मीर	603.98	249.48	152.20	0.00	0.00	0.24	3.43	26.16	152.81
झारखंड	275.77	126.90	66.97	5.12	19.24	1.88	3.06	68.31	150.21

कर्नाटक	695.99	243.40	67.29	341.83	129.30	8.95	2.18	102.59	2095.67
केरल	1926.75	847.15	312.82	26.72	0.00	2.10	0.00	39.52	589.68
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	351.66	111.83	42.02	54.50	23.53	0.73	0.49	104.39	1000.95
महाराष्ट्र	911.64	387.18	144.12	50.57	19.85	4.54	0.00	215.67	1921.28
मणिपुर	229.12	80.92	45.01	0.00	22.58	0.05	3.45	0.00	101.79
मेघालय	130.27	44.25	29.93	0.00	28.61	0.00	9.34	2.20	3.90
मिजोरम	74.37	35.64	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
नागालैंड	51.98	15.84	9.28	0.00	8.03	0.00	3.11	0.00	5.71
उड़ीसा	278.16	130.06	56.91	6.43	0.00	0.62	0.00	58.09	772.80
पुदुचेरी	70.60	46.67	11.08	30.91	0.00	1.91	1.38	68.25	26.14
पंजाब	986.62	360.60	151.19	9.24	0.00	0.00	0.00	50.27	998.73
राजस्थान	1515.82	667.32	306.75	65.15	78.95	0.56	0.00	71.73	1135.95
सिक्किम	18.88	13.15	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	12.68
तमिलनाडू	333.99	104.77	42.27	61.45	0.00	12.74	0.97	29.23	380.98
तेलंगाना	654.98	235.81	68.42	105.36	160.34	5.45	2.50	110.76	1264.06
त्रिपुरा	4.58	7.39	3.21	0.00	0.00	0.00	2.92	5.29	73.71
उत्तर प्रदेश	7506.04	3092.10	1251.14	515.62	18.85	14.64	1.64	468.17	5912.73
उत्तराखंड	195.14	91.94	38.54	6.38	0.00	4.47	0.00	3.73	211.63
पश्चिम बंगाल	2462.31	976.99	421.68	31.75	4.49	7.17	0.00	119.59	2486.50

\* 2018-19 के दौरान एनएसपी के माध्यम से जारी की गई राशि रु. 46,632 / हालांकि, राज्यवार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।



आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

**वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को जारी राशि दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में)**

राज्य	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति*		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
	ओबीसी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	6.93	3.14	4.39	12.58	4.02	0.00	0.00	0.00	313.56
आंध्र प्रदेश	1197.48	438.15	174.33	290.14	65.65	1.91	0.19	279.97	1644.74
अरुणाचल प्रदेश	56.13	28.72	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	575.95	273.11	242.03	0.00	16.61	0.00	1.89	425.00	169.04
बिहार	860.48	330.10	107.12	4.11	0.00	0.00	0.00	267.59	318.99
चंडीगढ़	403.78	201.28	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	29.99
छत्तीसगढ़	169.20	84.61	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	64.46
दिल्ली	3872.06	1408.43	697.56	13.66	9.02	0.29	0.00	228.38	270.90
गोवा	105.05	24.15	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	2.51
गुजरात	222.91	75.66	24.60	16.82	0.00	0.00	0.00	233.59	257.85
हरियाणा	1710.23	729.67	230.11	34.34	1.92	0.00	0.00	151.49	352.04
हिमाचल प्रदेश	286.46	191.98	86.29	25.72	5.98	1.91	0.00	26.28	148.23
जम्मू और कश्मीर	789.28	383.39	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10	110.52

झारखंड	364.19	142.86	71.69	2.02	13.21	0.29	1.18	157.60	62.72
कर्नाटक	920.15	349.32	141.54	206.54	99.05	0.00	0.00	277.63	1499.78
केरल	2890.08	862.50	257.88	13.84	0.00	0.64	0.00	150.19	338.41
लक्षद्वीप	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	599.21	219.04	98.63	75.86	13.96	0.00	0.00	210.71	630.82
महाराष्ट्र	1366.47	693.59	191.84	47.16	14.28	0.00	0.00	556.30	1771.46
मणिपुर	178.65	131.42	82.30	0.00	14.96	0.00	0.00	19.77	86.81
मेघालय	83.39	22.25	99.91	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	4.53
मिजोरम	30.61	31.48	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
नागालैंड	48.41	16.10	41.64	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	6.58
उड़ीसा	536.17	246.71	68.56	2.54	0.00	0.23	0.00	134.14	572.15
पुदुचेरी	133.55	63.98	16.80	15.40	0.00	0.00	0.00	67.54	21.62
पंजाब	1186.87	547.79	174.20	3.20	0.00	0.00	0.00	110.23	880.01
राजस्थान	2067.43	783.04	391.76	34.85	72.90	0.00	0.00	356.66	872.65
सिक्किम	16.70	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	54.89	9.79
तमिलनाडू	550.57	215.72	64.79	50.97	0.00	1.33	0.00	166.54	407.17
तेलंगाना	790.44	354.87	169.17	82.99	128.51	0.75	0.00	173.80	1293.66
त्रिपुरा	23.71	15.01	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	59.83
उत्तर प्रदेश	9827.47	3447.64	1167.02	369.95	2.43	1.19	0.10	915.75	4339.62
उत्तराखंड	569.89	257.86	67.26	5.44	0.00	0.00	0.00	29.23	150.62
पश्चिम बंगाल	3490.76	1794.35	653.43	24.78	0.12	0.43	0.00	419.43	1691.59

**\*वर्ष 2019-20 के दौरान एनएसपी के माध्यम से जारी की गई राशि रु. 5.93 करोड़ हालांकि, राज्यवार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है।**

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

2020-21 में विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को जारी राशि दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में)

राज्य	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति*		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
	ओबीसी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.15	0.14	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	2.43
आंध्र प्रदेश	9.85	3.09	0.78	2.92	0.54	0.00	0.00	1.94	12.24
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	5.44	1.93	4.60	0.00	0.12	0.00	0.00	2.93	1.45
बिहार	9.82	1.92	0.44	0.11	0.00	0.00	0.00	2.40	1.98
चंडीगढ़	0.80	1.05	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.32
छत्तीसगढ़	1.48	0.52	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.41
दिल्ली	26.05	13.27	4.20	0.09	0.09	0.00	0.00	1.06	3.87
गोवा	0.41	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.06
गुजरात	1.35	0.64	0.41	0.21	0.00	0.00	0.00	2.20	1.74
हरियाणा	16.95	7.22	0.09	0.42	0.00	0.00	0.00	1.27	3.37
हिमाचल प्रदेश	0.88	3.19	2.27	0.16	0.10	0.00	0.00	0.17	1.96

जम्मू और कश्मीर	2.17	3.25	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.99
झारखंड	4.50	0.83	2.61	0.00	0.06	0.00	0.00	0.99	0.78
कर्नाटक	7.70	4.47	2.56	1.86	0.76	0.00	0.00	1.53	11.86
केरल	38.61	5.05	0.62	0.21	0.00	0.00	0.00	1.38	2.91
लद्दाख	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	3.44	1.39	0.38	0.61	0.02	0.00	0.00	2.25	4.09
महाराष्ट्र	8.93	6.31	1.20	0.44	0.03	0.00	0.00	2.99	10.12
मणिपुर	2.68	1.13	2.97	0.00	0.06	0.00	0.00	0.30	0.39
मेघालय	0.29	0.04	3.30	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.04
मिजोरम	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
नागालैंड	0.00	0.00	2.10	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	4.66	1.40	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	4.17
पुदुचेरी	1.78	0.27	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.32	0.11
पंजाब	6.00	7.26	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.76	7.13
राजस्थान	27.55	8.55	7.71	0.34	0.64	0.00	0.00	2.63	4.78
सिक्किम	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.02
तमिलनाडू	7.85	2.38	0.48	0.87	0.00	0.00	0.00	1.89	3.55
तेलंगाना	8.31	3.49	1.83	1.04	1.17	0.00	0.00	1.55	9.40
त्रिपुरा	0.19	0.12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.27
उत्तर प्रदेश	107.15	30.08	2.11	2.69	0.01	0.00	0.00	7.28	27.84
उत्तराखंड	2.20	1.46	0.53	0.11	0.00	0.00	0.00	0.29	1.28
पश्चिम बंगाल	19.64	19.47	3.00	0.26	0.00	0.00	0.00	3.08	13.53

\*2020-21 के दौरान एनएसपी के माध्यम से जारी की गई राशि रु. 1.64 करोड़ हालांकि, राज्यवार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है।

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2021-22 में जून तक विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को जारी राशि दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में)

राज्य	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
	ओबीसी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.03	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.73
आंध्र प्रदेश	3.34	0.80	0.37	0.09	0.00	0.78	2.21
अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.01
असम	1.95	0.65	1.86	0.00	0.01	1.00	0.38
बिहार	3.06	0.51	0.11	0.00	0.00	0.97	0.41
चंडीगढ़	0.30	0.31	0.19	0.00	0.00	0.03	0.11
छत्तीसगढ़	0.63	0.14	0.16	0.00	0.00	0.32	0.15
दादरा और नगर हवेली	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	6.99	3.81	1.12	0.00	0.00	0.43	1.09
गोवा	0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13	0.02
गुजरात	0.55	0.24	0.11	0.08	0.00	0.60	0.44
हरियाणा	5.25	1.95	0.02	0.01	0.00	0.38	1.00

हिमाचल प्रदेश	0.28	1.00	0.73	0.01	0.01	0.09	0.77
जम्मू और कश्मीर	0.63	0.96	1.80	0.00	0.00	0.20	0.32
झारखंड	1.20	0.21	0.42	0.00	0.00	0.34	0.28
कर्नाटक	2.34	1.18	0.74	0.03	0.01	0.60	2.13
केरल	12.23	1.37	0.16	0.01	0.00	0.96	0.57
लद्दाख	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1.22	0.37	0.11	0.03	0.00	0.61	0.56
महाराष्ट्र	2.55	1.91	0.31	0.04	0.00	0.94	1.56
मणिपुर	0.76	0.35	1.05	0.00	0.01	0.17	0.12
मेघालय	0.06	0.01	0.94	0.00	0.00	0.00	0.01
मिजोरम	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	2.10	0.56	0.35	0.00	0.00	0.70	0.97
पुदुचेरी	0.46	0.04	0.04	0.00	0.00	0.07	0.04
पंजाब	1.96	2.24	0.03	0.00	0.00	0.36	2.17
राजस्थान	6.21	1.88	1.61	0.00	0.01	0.98	1.10
सिक्किम	0.00	0.02	0.16	0.00	0.00	0.11	0.04
तमिलनाडू	2.62	0.72	0.20	0.05	0.00	0.78	1.10
तेलंगाना	2.91	1.22	0.70	0.05	0.01	0.57	1.76
त्रिपुरा	0.13	0.02	0.04	0.00	0.00	0.06	0.05
उत्तर प्रदेश	26.23	7.43	0.47	0.15	0.00	2.70	5.31
उत्तराखंड	0.79	0.39	0.18	0.02	0.00	0.08	0.58
पश्चिम बंगाल	6.32	6.49	0.85	0.00	0.00	1.43	3.47

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

इंस्पायर-शी राज्य-वार छात्रवृत्ति जारी डेटा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष - 2018-19 (राशि लाख में)			वित्तीय वर्ष - 2019-20 (राशि लाख में)			वित्तीय वर्ष - 2020-21 (राशि लाख में)			वित्तीय वर्ष-2021-22 (राशि लाख में)		
		एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
		फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी	फंड जारी
1	आंध्र प्रदेश	4.4	0	76.4	0.6	0	56.4	1.4	0	114.8	0.8	0	8.4
2	असम	3.4	8.4	119.2	1.2	4.2	57.6	0	0	124.4	0	0	12
3	बिहार	1.2	0	141.2	0	0	63.6	0.6	0	65.6	1.2	1.8	25.4
4	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	22.2	6	364.2	6.6	3.6	186.3	9.6	1.2	523.4	1.8	0	15.8
6	दिल्ली	0	1.2	11.4	0	0.6	4.2	0	0	111.8	0	0	0
7	गोवा	0	0	2.4	0	0	1.8	0	0	5.4	0	0	0
8	गुजरात	0.6	0.6	31.8	0	0	14.4	5.4	0.6	244.2	0	0	2.6
9	हरियाणा	4	0	138.1	0	0	67.8	3.6	0	216.6	1.2	0	6.2
10	हिमाचल प्रदेश	21	11.4	44.4	7.8	4.8	34.8	18.6	4.2	298.8	10.2	1.4	9.6
11	जम्मू और कश्मीर	3	1.2	4.8	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2	25	0	0.6	0.6
12	झारखंड	0	0	7	0	0	1.8	0	0	23	0	0	0
13	कर्नाटक	0	0	38.6	0	0	31.2	0	0	85.6	1.2	0	4.4
14	केरल	1.2	0	242.2	0	0	286.8	6	0	926.2	0.6	0	36.2
15	मध्य प्रदेश	24.2	7.2	492.6	2.4	2.4	218.4	27.6	2.4	1371	6	0.8	31.2
16	महाराष्ट्र	9.6	3.9	319.2	2.4	0	175.2	9.6	3.6	663.8	1.2	0.6	20
17	मणिपुर	5.4	10.8	73.9	0	2.4	72	3	4.2	151.2	0.6	0	16.2
18	मेघालय	0	41.4	0	0	16.2	0	0	23.4	20.6	0	4.2	0.6
19	मिजोरम	0	3	0	0	1.2	0	0	0	0.6	0	3	0



20	नागालैंड	0	17.4	1.8	0	9.6	0.6	0	16.8	11.4	0	3	0
21	उड़ीसा	0.6	1.2	99	0	0	78.9	1.2	0	145	0.6	0	9.8
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0.6	0	0	2.4	0	0	0
23	पंजाब	5.4	0	23.4	1.2	0	15.6	3	0	95.8	0.6	0	2.4
24	राजस्थान	145.9	147	2318	15.9	53.4	1055.4	32.8	13.8	4474.8	14	9.6	239.8
25	तमिलनाडू	0	0	8.8	0	0	3	0	0	16.8	0	0	0
26	तेलंगाना	0	0	11.8	0	0.6	10.2	1.2	1.2	52.8	0	0	6
27	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	312.7	13.2	3651	73.5	2.4	1730.1	103.4	1.8	4642.2	11.4	2.4	134.8
29	उत्तराखंड	31	25.2	234.4	4.2	5.4	81.6	28.4	8.4	767.6	4.8	0	13.6
30	पश्चिम बंगाल	70.6	4.8	419.8	17.4	0.6	244.5	74.2	0	1683.6	33	0	80.6
	<b>कुल योग-</b>	<b>666.4</b>	<b>303.9</b>	<b>8875.4</b>	<b>134.4</b>	<b>108</b>	<b>4494</b>	<b>330.2</b>	<b>82.8</b>	<b>16872.8</b>	<b>89.2</b>	<b>27.4</b>	<b>676.2</b>

अनुबंध 15

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत (2018-19 से 2021-22) के दौरान जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार विवरण

लाख रु. में

क्र. सं.	राज्य/ चूटी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	( 22.07.2021 तक)	
								फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड (यूसी बकाया नहीं है)
1	अंडमान और निकोबार	5	5	5.62	5.62	12.33	0	0	—
2	आंध्र प्रदेश	1210.81	1210.81	736.32	736.32	1433.81	1433.81	3935.06	—
3	अरुणाचल प्रदेश	0		0		0		0	—
4	असम	0	0	0	0	17.27	17.27	51.09375	—
5	बिहार	0	0	7131.47	0	0	0	0	—
6	छत्तीसगढ़	4755.63	4755.63	4796.94	4796.94	3541.54	1614.55	0	—
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20	20	38.49	38.49	234	0	0	—
8	दमन और दीव	0	0	5.89	5.89	0	0	0	—
9	गोवा	80.83	80.83	80.56	80.56	41.35	0	0	—
10	गुजरात	4482.31	4482.31	5248.34	5248.34	2198.84	2198.84	3689.18	—
11	हिमाचल प्रदेश	38.91	38.91	83.92	83.92	91.87	0	0	—
12	जम्मू और कश्मीर	0		0		0		0	—
13	झारखंड	2345.92	2345.92	1514.49	1514.49	0	0	0	—
14	कर्नाटक	1256.31	1256.31	1846.92	1846.92	0	0	1753.16	—
15	केरल	308.73	308.73	287.31	287.31	116.56	116.56	347.07	—
16	लद्दाख	0	0	0	0	42.27	0	0	—
17	मध्य प्रदेश	5884.33	5884.33	7698.9	7698.9	5429.34	5429.34	9757.32	—
18	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	—
19	मणिपुर	773	773	443.33	0	0	0	0	—
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	—
21	मिजोरम	319.79	319.79	702.21	702.21	167.86	0	0	—
22	नागालैंड	0	0	0	0	60.75	0	0	—
23	उड़ीसा	6665.88	6665.88	6157.65	6157.65	6944.96	6944.96	5236.75	—
24	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	1.63	0	0	—
25	राजस्थान	1716.12	1716.12	5346.97	5346.97	3126.9	3126.9	6234.34	—
26	सिक्किम	7.97	7.97	3.57	3.57	9.41	0	0	—

27	तमिलनाडू	0	0	589.74	589.74	241	0	0	
28	तेलंगाना	693.84	442.92	0	0	0	0	0	
29	त्रिपुरा	0	0	386.18	386.18	252.09	252.09	58.55	
30	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	88.17	
31	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	138.24	0	0	
32	पश्चिम बंगाल	584.62	584.62	894.18	894.18	788.22	788.22	912.51	
	<b>संपूर्ण</b>	<b>31150</b>	<b>30899.08</b>	<b>43999</b>	<b>36424.2</b>	<b>24890.24</b>	<b>21922.54</b>	<b>32063.2038</b>	

अनुबंध 16

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत (2018-19 से 2021-22) के दौरान जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड	( 22.07.2021 अब)	
								फंड रिलीज	उपयोग किया गया फंड (यूसी बकाया नहीं है)
1	अंडमान और निकोबार	10.09	10.09	11.34	11.34	13.29	13.29	0	___
2	आंध्र प्रदेश	13945.02	13945.02	7797.07	7797.07	6039.35	6039.35	8991.45	___
3	अरुणाचल प्रदेश	1883.82	1883.82	6113.41	6113.41	5712.96	5712.96	11142.887	___
4	असम	3248.03	3248.03	4867.2	4867.2	5413.54	5413.54	1093.3965	___
5	बिहार	0	0	1525.43	1289.36	708.22	0	0	___
6	छत्तीसगढ़	4609.57	4609.57	7022.69	7022.69	8790.24	0	0	___
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	88.66	88.66	3481.73	0	0	___
8	दमन और दीव	3.41	3.41	0	0	0	0		___
9	गोवा	536.26	536.26	732.79	732.79	458.18	0	0	___
10	गुजरात	32429.12	32429.12	14004.48	14004.48	22977.64	22977.64	25639	___
11	हिमाचल प्रदेश	278.15	278.15	2468.81	1555.51	0	0	0	___
12	जम्मू और कश्मीर	637.93	637.93	1048.29	1048.29	805.44	0	0	___
13	झारखंड	5281.32	5281.32	7862.86	7862.86	0	0	9435.28	___
14	कर्नाटक	7341.33	7341.33	15003.43	15003.43	0	0	0	___
15	केरल	2674.37	2674.37	1641.52	1641.52	3285.25	3285.25	2516.49	___
16	लद्दाख	0	0	0	0	738	0	0	___
17	मध्य प्रदेश	13405.24	13405.24	12198.58	12198.58	12344	12344	19834.24	___
18	महाराष्ट्र	15238.15	15238.15	15575.38	15575.38	18149.52	18149.52	19214.82	___

19	मणिपुर	2026.76	2026.76	6235.55	6235.55	2184.19	0	0	==
20	मेघालय	2457.52	2457.52	0	0	0	0	2636.0906	==
21	मिजोरम	3528.21	3528.21	4415.78	4415.78	3446.82	0	0	==
22	नागालैंड	4716.66	4716.66	3268.73	3268.73	3226.37	3226.37	4435.7475	==
23	उड़ीसा	14801.92	14801.92	16640.15	16640.15	19095.97	19095.97	10655.81	==
24	पुदुचेरी	0	0	0	0	19.56	0	0	==
25	राजस्थान	13598.95	13598.95	25950.52	25950.52	25557.03	0	0	==
26	सिक्किम	1134.36	1134.36	566.8	566.8	553.83	553.83	1036.28	==
27	तमिलनाडू	3933.65	3933.65	5025.19	5025.19	3328.99	0	0	==
28	तेलंगाना	9921.68	9921.68	19610.6	19610.6	27297.83	27297.83	7503.9	==
29	त्रिपुरा	3626.55	3626.55	2355.78	2355.78	4804.98	0	0	==
30	उत्तर प्रदेश	1210.54	1210.54	1822.71	1822.71	2218.67	1464.96	0	==
31	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	==
32	पश्चिम बंगाल	2219.39	2219.39	2411	2411	2256.42	0	0	==
	<b>संपूर्ण</b>	<b>164698</b>	<b>164698</b>	<b>186264.75</b>	<b>185115.38</b>	<b>182908.02</b>	<b>125574.51</b>	<b>124135.39</b>	

**अनुबंध 17**

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

**पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (28.07.2021 तक) के दौरान एससीए से टीएसएस की योजना के तहत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निधियों का राज्य-वार विवरण**

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	989.04	1082	744.41	0
2	अरुणाचल प्रदेश	495	916	225	0
3	असम	0	1257.57	863	0
4	बिहार	0	0	85	0
5	छत्तीसगढ़	10334.45	2382.62	4243.28	0
6	गोवा	0	0	651.82	0
7	गुजरात	1437.33	3491.84	3570.1	0
8	हिमाचल प्रदेश	1110.25	972.57	175	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
10	झारखंड	3147.57	6474.18	0	0
11	कर्नाटक	2236	6164	2100	0
12	केरल	400	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	13073.54	17700	710.08	0
14	महाराष्ट्र	4142.98	4122.6	0	0
15	मणिपुर	0	0	0	0
16	मेघालय	600	0	865.31	0
17	मिजोरम	1400	970	0	0
18	नागालैंड	433	200	0	0
19	उड़ीसा	2700	1000	0	0
20	राजस्थान	0	0	0	0
21	सिक्किम	0	0	0	0
22	तमिलनाडू	0	0	0	0
23	तेलंगाना	3844.89	2146.81	2345	0

24	त्रिपुरा	1112.69	200	340.6	0
25	उत्तराखण्ड	1012.88	616.58	187.59	0
26	उत्तर प्रदेश	0	850.55	355.65	0
27	पश्चिम बंगाल	895.95	591.25	602.07	0
	<b>संपूर्ण</b>	<b>49365.57</b>	<b>51138.57</b>	<b>18063.91</b>	<b>0</b>

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ईएमआरएस स्वीकृत और क्रियाशील (28.07.2021 तक)**

क्र.सं.	राज्य/ यूटी	कुल स्वीकृत ईएमआरएस	क्रियाशील ईएमआरएस
1	आंध्र प्रदेश	28	26
2	अरुणाचल प्रदेश	10	2
3	असम	10	1
4	बिहार	3	0
5	छत्तीसगढ़	71	71
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
7	गुजरात	35	35
8	हिमाचल प्रदेश	4	4
9	जम्मू और कश्मीर	6	0
10	झारखंड	83	13
11	कर्नाटक	12	12
12	केरल	4	2
13	लद्दाख	3	0
14	मध्य प्रदेश	67	63
15	महाराष्ट्र	32	25
16	मणिपुर	21	3
17	मेघालय	15	0
18	मिजोरम	17	6
19	नागालैंड	22	3
20	उड़ीसा	88	27
21	राजस्थान	30	21
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडू	8	8



24	तेलंगाना	23	23
25	त्रिपुरा	20	5
26	उत्तर प्रदेश	4	2
27	उत्तराखंड	3	3
28	पश्चिम बंगाल	8	7
	<b>कुल योग</b>	<b>632</b>	<b>367</b>

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

**पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (28.07.2021 तक) के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों को ईएमआरएस (आवर्ती और गैर-आवर्ती) के लिए जारी किया गया फंड**

क्रसं.	राज्य का नाम	फंड जारी			
		(रु. लाख में)			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (28.07.2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1994	5198.31	6129.12	0
2	अरुणाचल प्रदेश	683.6	3239.25	200.24	0
3	असम	736	3059.04	750	0
4	बिहार	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	6886.25	13052.49	6968.12	1459.05
6	दादरा और नगर हवेली	0	0	95.7	0
7	गुजरात	7963.78	14880.04	4755.86	0
8	हिमाचल प्रदेश	1265.15	2540.7	255.06	0
9	जम्मू और कश्मीर	2634.68	2400	0	0
10	झारखंड	5668.08	8829.14	2175.73	0
11	कर्नाटक	1780.59	4867.77	2495.83	0
12	केरल	769	633.29	0	0
13	मध्य प्रदेश	7087.06	31006.61	14459.36	0
14	महाराष्ट्र	4331.35	5629.87	2787.16	0
15	मणिपुर	1841.55	4050.6	1218	0
16	मेघालय	2105.15	0	1123.45	0
17	मिजोरम	2611	3931.64	3283.73	29.99
18	नागालैंड	1174.54	1958.71	5885.51	0
19	उड़ीसा	4314.8	4743	6064.27	0
20	राजस्थान	4162.25	8706.75	12944.17	0
21	सिक्किम	662.12	3175.35	800.33	153.24
22	तमिलनाडू	1218.4	6356.07	1225.14	0

23	तेलंगाना	3541.83	7816.4	9517.3	0
24	त्रिपुरा	1555.2	2472.64	6034.89	0
25	उत्तर प्रदेश	1145.45	1147.09	386.68	0
26	उत्तराखंड	1197.8	428.37	321.28	0
27	पश्चिम बंगाल	3767.13	5301.25	2062.45	0
	<b>कुल योग</b>	<b>71096.76</b>	<b>145424.38</b>	<b>91939.38</b>	<b>1642.28</b>

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय सहायता

करोड़ में

क्र.स.	राज्य/यूटी	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	-	-	49.44
2	असम	-	-	-
3	बिहार	-	55.5	-
4	चंडीगढ़	-	0.27	-
5	छत्तीसगढ़	-	10.41	-
6	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
7	दमन और दीव	-	-	0.0083
8	दिल्ली	-	2.68	2.91
9	गोवा	-	-	0.036
10	गुजरात	-	14.4	10.44
11	हरियाणा	-	3.68	-
12	हिमाचल प्रदेश	-	-	4.08
13	जम्मू और कश्मीर	-	0.7	2.6
14	झारखंड	16.34	6.76	6.59
14	कर्नाटक	-	36.91	62.3
16	केरल	-	0.19	13.68
17	मध्य प्रदेश	-	4.06	77.84
18	महाराष्ट्र	-	-	-
19	मणिपुर	-	0.45	-
20	मेघालय	-	-	-
21	उड़ीसा	9.96	25.9	35.12
22	पुदुचेरी	-	-	0.27
23	पंजाब	-	30.29	27.43
24	राजस्थान	30.75	33.23	38.27
25	सिक्किम	-	0.04	0.05

26	तमिलनाडू	-	-	50.18
27	तेलंगाना	-	-	-
28	त्रिपुरा	2.59	4.69	-
29	उत्तर प्रदेश	27.06	90.75	120.96
30	उत्तराखंड	-	3.44	1.43
31	पश्चिम बंगाल	28.7	28.54	65.4
	<b>संपूर्ण</b>	<b>115.4</b>	<b>352.89</b>	<b>569.03</b>
नोट:- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।				

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छेदी पासवान द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अताराकित प्रश्न सं. 2110 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत जारी केंद्रीय सहायता

करोड़ में

क्र.स.	राज्य/यूटी	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	90	287.67	450.01
2	असम	15	0	18
3	बिहार	-	0	47.83
4	चंडीगढ़	7.97	0	0
5	छत्तीसगढ़	3.23	3.27	38.54
6	दमन और दीव	-	0	0
7	दिल्ली	7.02	1.97	0
8	गोवा	-	0	0
9	गुजरात	180.55	0	170.32
10	हरियाणा	58.09	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	53.25	0	11.35
12	जम्मू और कश्मीर	-	0	0
13	झारखंड	17.23	0	13.42
14	कर्नाटक	29.18	121.47	252.79
14	केरल	-	9.8	86.85
16	मध्य प्रदेश	-	0	319.4
17	महाराष्ट्र	1433.92	0	558
18	मणिपुर	7.54	7.94	6.89
19	मेघालय	-	0	0
20	उड़ीसा	208.91	140.71	130.67
21	पुदुचेरी	-	0	2.21
22	पंजाब	631.31	206.47	191.58
23	राजस्थान	77.68	314.54	284.01
24	सिक्किम	1.04	1.04	0.81
25	तमिलनाडू	1407.38	925.84	120.23

26	तेलंगाना	-	0	245.03
27	त्रिपुरा	25.97	35.42	30.37
28	उत्तर प्रदेश	1672.88	655.16	892.36
29	उत्तराखंड	-	0	9.76
30	पश्चिम बंगाल	-	0	128.17
	<b>कुल</b>	<b>5928.15</b>	<b>2711.3</b>	<b>4008.6</b>
नोट:- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।				
<b>Note:- no release of funds have been done during FY 2021-22.</b>				